

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी- सी0एल0 शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 47/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. शंकरलाल पिता गणेश खटीक निवासी शिवरती गेट, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थी

बनाम

1. हजारी पिता मियाराज गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा गंगापुर
  2. गिरीराज पिता लादुलाल सोडानी
  3. हदीशन बेवा शफी मोहम्मद मुसलमान
  4. सत्यनारायण पिता खाजु खटीक
  5. ओमप्रकाश पिता खाजु खटीक
  6. दिनेश पिता खाजु खटीक
  7. सम्पत पिता सोहन खटीक
- सर्व निवासी शिवरती गेट गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 17 / 06 / 2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 630 रकबा 0.10 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 624 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है ए ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 630 रकबा 0.10 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 0.10 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17 / 06 / 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सी0एल0शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर (भीलवाड़ा)

ालय में विश्वास कर लिया है।